ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी
एक ऐसी जीवनपद्धति है
जो किसी जीव को, चाहे वो
भूमि, जल अथवा वायु का हो
भय, पीड़ा अथवा मृत्यु नहीं पहुँचाती

वर्ष 12 अंक 2, ग्रीष्म 2022
करुणा-मित्र
ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी – भारत की पत्रिका
प्राणी अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक धर्मार्थ ट्रस्ट

तसवीरी संपादकीय

गाय-भैंस के दूध पर मनुष्यों का अधिकार नहीं है

दूध बछड़ों के लिए है, न कि मनुष्यों के लिए, यह समझना हमारे लिए क्यों कठिन है?

हिन्दू पुराणों की पवित्र गाय, कामधेनु विश्व की समस्त गायों की जननी कहलाती है। वह धर्म का प्रतीक है।
उसके शरीर का प्रत्येक अंग कोई न कोई धार्मिक महत्त्व दर्शाता है।
तथापि, शोध संस्थाएं और डेयरी उद्योग गायों को दूध उत्पादन का जड़ जरिया मानते है।
उन्हें कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा लगातार गर्भवती रखते हैं।
गाय और भैंस अपना जीवन खुली फर्श पर रोगों से जूझने में बिता देती हैं।

भैंसों की कृषिकारी कृत्रिम गर्भाधान से नियंत्रित प्रजनन है,
जिसमे लगभग १० माह का कृत्रिम गर्भाधान भी निहित है।
कटड़ा पैदा होने के पश्चात् महत्तम दूध मनुष्यो के
उपयोग के लिए निकाला जाता है। मादा कटड़े फिर से
उन्हीं कटु अनुभवों से ९ बार गुज़रने के लिए बड़े होते हैं,
जब तक कि वे आर्थिक प्रतिलाभ देना बंद कर दें।
नर कटड़ों को भूखे रखकर मार दिया जाता हैं,
कत्ल किया जाता है या फिर ऐसे लोगों को बेच दिया
जाता है, जो उन्हें उनका मांस पाने के लिए तगड़ा कर सकें।

अखण्ड तिल के केवल ४ बड़े चम्मच में १ कप दूध में
समाविष्ट कैल्शियम से भी अधिक कैल्शियम होता है।
गाछ-मूंगा, सहिजन, मेथी, करी पत्ते, सेम,
बादाम, अंजीर और रागी जैसे घनी हरियाली में भी
कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है।
बछड़ों को, न कि मनुष्यों को दूध की आवश्यकता है।
और तो और, कैल्शियम का उत्तम स्रोत नहीं है।

भरत कापडीआ
संपर्क: editorkm@bwc-india.org

दूरनियंत्रित यान-ड्रोन

ड्रोन की आवाज़ मक्खियों के सदृश होती है और उसके कारण वन्यजीव डर जाते हैं, कहती हैं, निर्मल निश्चित

मनुष्यविहीन हवाई यान (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) को drone अर्थात दूरनियंत्रित यान कहते हैं। भारतीय सशस्त्र दलों के द्वारा दशकों से प्रयुक्त ऐसे ड्रोन की लम्बी सूची है। भारतभर में स्थित क़ानून प्रवर्तन एजंसियाँ ड्रोन के प्रयोग पर दिन-प्रतिदिन अधिकतर आश्रित होने लगी हैं।

तथापि, २०१९ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ड्रोन केमेरा की सहायता से अवैध रूप से क़त्ल किये जाने वाले २९ ऊँटों को खोज निकाल, छुडा कर बचाया। बी डब्ल्यू सी इस कारनामे से अतीव प्रभावित है।

ड्रोन से भयभीत भालू शावक। *तसवीरः* ऑनलाइन वीडियो से लिया गया स्क्रीनशॉट

पालतू अथवा जंगली किसी भी प्राणी या वन्यजीवन के विषय में विभिन्न कारणों से, विभिन्न परिस्थितियों में ड्रोन का प्रयोग किया जाता है।

वन्यजीवन संरक्षण समर्थकों के द्वारा वन्यजीवन डेटा संकलन, हवाई छायाचित्र लेने, तथा नक़्शे और भौगोलिक स्थिति समझने हेतु उत्तरोत्तर ड्रोन का प्रयोग अधिक से अधिक कर रहे हैं। ड्रोन का प्रयोग लागत कुशल और त्रुटि होने की गुंजाइश वाली है। ड्रोन के कारण मनुष्यों एवं वन्यजीवन को खतरा पहुँचने की तो बात ही अलग है।

२०२० में कनाडा की एक कंपनी के द्वारा ड्रोन टेक्नोलोजी का उपयोग कर पेड़ों के बीज बोये गए, जोकि, मनुष्यों की अपेक्षा दस गुना गति से हुआ। यह ऐसे जंगल क्षेत्र में किया गया, जहां के पेड़ दावानल में जल गए थे।

ड्रोन और वन्यजीवन तनाव

भारत में वन्यजीवन क्षेत्रों को गैर-उड्डयन क्षेत्र माने जाते हैं, परन्तु इसमें अपवाद है। वनविभाग के द्वारा ड्रोन के माध्यम से निगरानी के चलते शिकारियों (विडंबना यह है कि खुद शिकारियों के द्वारा भी ड्रोन का प्रयोग किया जाता है), दावानल, प्राणियों के बचाव और खोज कार्य, प्राणियों एवं मनुष्यों के बीच के संघर्ष निवारण की प्रक्रिया में काफी सहायता मिलती है। वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, २०२१ में प्रस्तावित सुधार के पश्चात् इस नियम में और भी परिवर्तन होने को है। हालाँकि, यह आश्चर्यजनक है कि इस सुधार में भी ड्रोन के घातक दुरूपयोग के कारण होने वाले दुष्प्रभाव को नज़रअंदाज़ किया गया है। जैसे कि ड्रोन वन्यजीवन को खलल पहुंचाते हैं और पक्षियों के घोसलों में ड्रोन के गिरने की घटना भी आये दिन होती रहती है।

ड्रोन के उपयोग विषयक निम्नानुसार सुझाव बी डब्ल्यू सी के द्वारा संसदीय स्थायी समिति को भेजे गए थे।

- शोर के स्तर को औपचारिक रूप देना चाहिए, जिसे प्रारंभ में १० डेसिबल रख सकते हैं।
- ड्रोन का प्रयोग करने वाले को सावधानी बरतनी चाहिए और विलुप्तप्रायः प्रजाति का आदर करना चाहिए। फिल्मनिर्माता यदि पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील निवासी का उपयोग करते हैं, तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई के द्वारा चेतावनी दी जानी चाहिए।
- किसी भी अभयारण्य के आसपास समय की निश्चित इकाई में ड्रोन के उपयोग करने की सीमा तय कर अधिनियम के अंतर्गत लागू करने चाहिए।
- निश्चित अनुसंधान हेतु के लिए ही ड्रोन के प्रयोग की छूट सप्ताह में एक बार के लिए ही दी जानी चाहिए।
- प्राणियों के ऊपर हवाई यान के हस्तक्षेप को लघुत्तम स्तर पर रखने की बेहतरीन कार्यप्रणाली का पालन किया जाना चाहिए।

दिल दहला देने वाली कंपकंपी

ऐसे कई वाकये देखने में आये हैं, जिनके कारण संवेदनशील वन्यजीवन नकारात्मक रूप से दुष्प्रभावित हुआ है। ऐसा केवल इसी कारण से होता है कि कोलाहल और आंदोलनों के कारण उनकी (वन्य जीवों की) निद्रा, आराम, घोसले बनाना, शिशु-पालन, खानपान और रहन-सहन एवं मनोभावों को खलल पहुँचती है।

ड्रोन की आवाज़ मक्खियों के सदृश होती है और उसके कारण वन्यजीव डर जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इनके कारण पशु, पक्षी और जलचरों के समेत पशु एवं पक्षी सभी वन्यजीव दुष्प्रभावित होते हैं। मनुष्यों से विपरीत प्राणियों और पक्षियों को कई किलोमीटर की दूरी से बाहरी तत्त्व की उपस्थिति का आभास हो जाता है, क्योंकि, उनकी संवेदनशीलता अभी भी अक्षुण्ण होती है।

कुछेक लोगों का निश्चित रूप से मानना है कि ड्रोन के उपयोग से वन्यजीवन को नुकसान होता है। २०१९ में वाइरल हुए एक वीडियो एक सिंह-शावक विपदा में फंसी अपनी माँ तक पहुँचने के लिए बारबार चिकनी ढलान के उपर चढने की कोशिश करता रहता है। वीडियो अत्यधिक बार शेयर किया गया था, जिसमें उसकी वीरता और साहस को रेखांकित किया गया था। लेकिन नेशनल ज्योग्रोफिक मेगेजिन ने इस कहानी का शीर्षक यूँ दिया था, वायरल वीडियो में ड्रोन के माध्यम से प्राणियों की फिल्म बनाने का घिनौना चेहरा दिख रहा है। लेख में दर्शाया गया था कि दुर्दशाग्रस्त शावक का मुख भयाक्रांत दिखने की वजह थी, उस समय फिल्म उतारने के लिए उसके उपर ड्रोन मंडरा रहा था।

ड्रोन के द्वारा प्राप्त वन्यजीवन के फूटेज (फिल्मांश) को देखने पर पशुओं के झुण्ड सरपट दौड़ते दिखाई देते हैं। ये पशु वास्तव में भयभीत हैं, अपने सर पर मंडरा रहे ड्रोन को देख कर और उसकी आवाज़ सुनकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे होते हैं, ड्रोन उन्हें खतरे के समान दिखाई देते हैं।

गरुड़ ड्रोन के उपर हमला करने के लिए ख्यातनाम हैं। ऐसी फिल्म वाली गमगीन मुठभेड़ सोशल मिडिया के उपर प्रचलित नहीं की जानी चाहिए। ऐसे डरे हुए और बचाव की मुद्रा वाले प्राणियों की फिल्म दिखाने में क्या तुक हो सकता है, भला?

ऐसी फिल्म लेने वाले छायाकारों को प्रतीत नहीं होता है कि जिनकी फिल्म ली जा रही है, वे प्राणी इसके कारण दुष्प्रभावित होते हैं और उस क्षेत्र में दुबारा उड़ना बंद कर देते हैं। उदाहरणतः, पक्षियों के झुण्ड के उपर तसवीर लेने के लिए उनके उपर सीधा ड्रोन उड़ाने से उन पर अत्याचार होता है। उस 'हादसे' से बचने के लिए पक्षी जिस ऊर्जा को खर्च कर देते हैं, वह उर्जा जीवन को बचाने के लिए प्रयुक्त होने वाली उर्जा होती है। विलुप्तप्राय: या खतराग्रस्त वन्यजीवन को इस प्रकार डराना उन्हें धर दबोचने के समान माना जाता है, और इस अपराध के लिए कई देशों में अत्यधिक सजा का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, ऐसे तनाव के कारण उनकी प्रजननक्षमता भी बुरी तरह प्रभावित होती है। विशेष कर शिकारी पक्षियों, काला कौआ और समुद्री गल पक्षियों में प्राय: ऐसा देखने में आया है। ड्रोन के कारण उनके अण्डों का सेवन भी नहीं हो पाता है। कभी कभी ड्रोन का सामना करने के लिए उनके द्वारा किये गये हमले में उनके पंख और चोंच चोटग्रस्त होते हैं। और ऐसा केवल वनों में ही हातो, ऐसा नहीं है, मनुष्यों के निवास क्षेत्रों में भी हो सकता है, क्योंकि भारत में व्यापारी एवं निजी ड्रोन उड़ाने की आज़ादी वनों एवं नगरों में सर्वत्र होती है। इससे भी बुरी बात, शिकारी भी वन्य जीवों को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने के लिए ड्रोन का प्रयोग करते हैं।

फार्म IV (कृपया नियम 8 देखें)

करुणा-मित्र समाचार पत्र के स्वामित्व सम्बंधित विवरण – प्रत्येक फरवरी माह के अंतिम दिवस के बाद प्रकाशित अंक में प्रकाशन आवश्यक विवरण

प्रकाशन स्थल: ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी (भारत), 4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040 प्रकाशन अवधि: त्रैमासिक।

मुद्रक का नाम: योगेश दाभाडे। क्या भारत के नागरिक है: हां। पता: श्री मुद्रा 181 शुक्रवार पेठ, पुणे 411 002

प्रकाशक का नाम: डायना रत्नागर, अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी (भारत)। क्या भारत के नागरिक है: हां। पता: 4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040

संपादक का नाम: भरत कापडीआ। क्या भारत के नागरिक है: हां। पता: 4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040

उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हॉ तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हो:
अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी (भारत), 4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे 411 040

मैं, डायना रत्नागर, एतद् द्वारा घोषित करती हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

हस्ताक्षरित

डायना रत्नागर, (प्रकाशक) दिनांक: 1 मार्च 2022

जैन व्हीगन व्यंजन

इस स्तंभ के अंतर्गत जैन व्हीगन व्यंजन बनाने की विधि प्रस्तुत है। यदि आप भी कोई रेसिपी भेजना चाहते हैं, तो पत्र/ई-मेल के द्वारा भेजें। व्हीगन से हमारा तात्पर्य यह है कि शाकाहारी लोगों की ऐसी श्रेणी, जोकि खाने-पीने में प्राणिज पदार्थ से बनी किसी भी वस्तु के प्रयोग से दूर रहते हैं। निम्नदर्शित व्यंजन आपकी प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) सिस्टम को न केवल बढ़ावा देती हैं, आरोग्यप्रद और स्वादिष्ट भी हैं।

दूध एवं मक्खन

व्यावहारिक रूप से हमारे देश में सभी शाकाहारी लोग, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं, जो खुद पूर्ण शाकाहारी कहलाते हैं, अपने आहार में दूध एवं डेयरी उत्पाद को शामिल करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं, जो आरोग्य अथवा करुणा की पृष्ठभूमि पर सातत्यपूर्ण रूप से डेयरी उत्पादों से दूर रह सकते हैं, उन्होंने भी आधी जंग जीत ली है।

नीचे दी गई व्यंजन बनाने की विधि पौष्टिक दूध और मक्खन की है, जोकि विभिन्न नट से बनते हैं।

नट मिल्क

(२०० मि. लि.)

सामग्री

१ कप कवच वाले नट्स, जैसे कि, बादाम, पिस्ता, अखरोट, पेकन, काजू या सिंगदाना।

३ कप छना हुआ पानी

ब्राउन शुगर(भूरी चीनी), गुड़ या खजूर सिरप जैसा कोई भी स्वीटनर

वेनिला एसेंस (वैकल्पिक)

बनाने की विधि

नट्स को कम से कम ८ घंटों तक पानी में भिगोये रखें। बाद में पानी बहा दें और और नट्स को खंगालें। मिक्सर में नट्स को पानी के साथ ब्लेन्ड करें। पानी को धीरे धीरे कम मात्रा में मिलाते जाएँ, अन्यथा दूध पतला हो जाएगा।

ठीक से ब्लेन्ड किये घोल को छलनी से निचोड़ कर छनें, ताकि कोई ठोस टुकड़ा शेष न रहे और अधिकतम प्रवाही निकल पाए। प्रारम्भ के ऐसे निचोड़ने पर गाढ़ा घोल निकलेगा।

जब की बाद में वह पतला होता जाएगा।

इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहें, जब तक गाढ़ा प्रवाही निकलता रहे। यदि चाहें, तो स्वीटनर और/या वेनिला एसेंस इसमें मिलाएं।

इस दूध को प्राणिज दूध के विकल्प में प्रयोग कर सकते हैं।

बादाम का मक्खन

(१०० ग्राम)

सामग्री

२ कप कच्चे बादाम

१/४ छोटा चम्मच नमक

१/२ बड़ा चम्मच वर्जिन

ऑलिव तेल (जैतून का तेल)

बनाने की विधि

ओवन को पहले से १८० अंश-डिग्री तक गर्म (प्री-हिट) करें।

बादाम को बेकिंग शीट के ऊपर १० मिनट तक सेंकें।

ठंडा होने दें।

बादाम को क्रीमी होने तक ब्लेन्ड करें। बादाम मक्खन के नर्म होने पर उसमें नमक और जैतून तेल डालें।

मिश्रण ठंडा होने पर उसे बर्तन में डालें।

फ्रिज में स्टोर करने पर १५ दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

डेयरी के मक्खन के स्थान पर इसे प्रयोग कर सकते हैं।

बी डब्ल्यू सी द्वारा जांचे-परखे व आस्वाद किये गए स्वादिष्ट व्यंजनों की विधि का संकलन देखने के लिए कृपया *www.bwcindia.org/Web/Recipes/Recipesindex.html* की मुलाकात लें।

प्रकाशक: डायना रत्नागर,
अध्यक्षा, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
सम्पादक: भरत कापडीआ
डिझाईन: दिनेश दाभोळकर
मुद्रण स्थल: श्री मुद्रा
181 शुक्रवार पेठ, पुणे 411002

करुणा-मित्र
का प्रकाशनाधिकार
ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी के पास सुरक्षित है।
प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना
किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्रित सामग्री
की अनधिकृत प्रतिकृति करना प्रतिबंधित है।

करुणा-मित्र प्राणिज पदार्थ-रहित कागज़
पर मुद्रित किया जाता है,
और प्रत्येक
बसंत (फरवरी), ग्रीष्म (मई),
वर्षा (अगस्त) एवं शिशिर (नवम्बर)
में प्रकाशित किया जाता है।

ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी - भारत
4 प्रिन्स ऑफ वेल्स ड्राइव, वानवडी, पुणे **411 040**
टेलिफोन: **+91 (20) 2686 1166 WhatsApp: 74101 26541**
ई-मेल: **admin@bwcindia.org** वेबसाईट: **www.bwcindia.org**

Scan me

निजी प्रचलन हेतु Reg. No. 022203/30/86/AL/TC